भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 2025**
11 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

**विषय: प्राकृतिक आपदाओं के कारण खाद्यान्न और सब्जियों का नुकसान**

**2025. श्री उज्जवल रमण सिंहः**

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2022-24 के दौरान देश में प्राकृतिक आपदाओं के कारण खाद्यान्न, फलों और सब्जियों का कितना नुकसान हुआ है;

(ख) सरकार द्वारा इस नुकसान के कारण अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव से निपटने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को हुए नुकसान के लिए सहायता संबंधी मानदंडों में कोई परिवर्तन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को हुए नुकसान के लिए दिए जाने वाले मुआवजे में वृद्धि करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)**

(क) और (ख) : प्राकृतिक आपदाओं के कारण खाद्यान्नों और सब्जियों के नुकसान की मात्रा के बारे में कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण बागवानी फसलों/अन्य फसलों में फसलोपरांत होने वाले नुकसान को रोकने और नुकसान की स्थिति में किसानों की सहायता के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

(ग) से (ङ): वित्त आयोग के उत्तरोत्तर निर्णय के बाद सहायता की मदों और मानदंडों की समीक्षा की जाती है और उन्हें संशोधित किया जाता है। मूल्य वृद्धि सहित विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने 10 अक्टूबर 2022 को वर्ष 2022-23 से 2025-26 की अवधि के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ से सहायता की मदों और मानदंडों की सूची संशोधित की थी, जिसे 11 जुलाई 2023 को पुनः संशोधित किया गया था। ये मानदंड गृह मंत्रालय की वेबसाइट: www.ndmindia.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं।

बागवानी फसलों में फसलोपरांत होने वाले नुकसान को कम करने के लिए, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) लागू कर रहा है, जिसके तहत फसल फसलोपरांत प्रबंधन (पीएचएम) के लिए सहायता प्रदान की जाती है। फसलोपरांत प्रबंधन के इन्फ्रास्ट्रक्चर में कोल्ड स्टोरेज (5000 मीट्रिक टन तक), प्राथमिक/मोबाइल प्रसंस्करण इकाइयाँ, पैक हाउस, प्री-कूलिंग इकाइयाँ, नियंत्रित वातावरण, रीफर वैन और पकने वाले कक्षों की स्थापना शामिल है। ये घटक मांग और उद्यमी द्वारा संचालित हैं, जिसके लिए संबंधित राज्य बागवानी मिशनों के माध्यम से क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड सब्सिडी उपलब्ध है। पीएचएम घटक के तहत, विभिन्न प्रकार के फसलोपरांत इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए सामान्य क्षेत्रों में 35% और पहाड़ी एवं आदिवासी क्षेत्रों में 50% की दर से क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड सब्सिडी उपलब्ध है।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) "बागवानी उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज और भंडारण के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी" नामक एक योजना को लागू कर रहा है। इस योजना के तहत, 5000 मीट्रिक टन से अधिक और 10000 मीट्रिक टन तक की भंडारण क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज और नियंत्रित वातावरण (सीए) के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की पूंजी लागत के 35% की दर से और पूर्वोत्तर, पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में 50% की दर से क्रेडिट लिंक्ड बैक-एंडेड सब्सिडी उपलब्ध है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के मामले में, 1000 मीट्रिक टन से अधिक क्षमता वाली इकाइयां भी सहायता के लिए पात्र हैं।

सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं, प्रतिकूल मौसम की घटनाओं से होने वाली फसल हानि/क्षति से पीड़ित बीमित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और किसानों की आय में सुधार करने के लिए खरीफ 2016 से उपज आधारित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और मौसम सूचकांक आधारित पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यूबीसीआईएस) लागू की है। इस योजना के तहत बुवाई पूर्व से लेकर कटाई पश्चात के नुकसानों के लिए व्यापक जोखिम बीमा प्रदान किया जाता है और बीमा कंपनियों द्वारा बीमांकिक (एक्चुरियल)/बोली (बिडेड) प्रीमियम लिया जाता है लेकिन किसान को खाद्य और तिलहन फसलों के लिए खरीफ मौसम के लिए बीमित राशि का अधिकतम 2% और रबी मौसम के लिए बीमित राशि का 1.5% और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए बीमित राशि का 5% का कम प्रीमियम देना पड़ता है। शेष बीमांकिक (एक्चुरियल)/बोली (बिडेड) प्रीमियम को केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा समान रूप से साझा किया जाता है, पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर, जहां इसे केन्द्र और राज्य के बीच 90:10 के अनुपात में साझा किया जाता है और सरकार द्वारा फंड रूटिंग एजेंसी अर्थात भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड के माध्यम से सीधे बीमा कंपनियों को प्रदान किया जाता है।

सभी स्वीकार्य दावों/नुकसानों की गणना इस योजना के परिचालन दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार की जाती है और उनका भुगतान किया जाता है। हालांकि, ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलप्लावन, बादल फटने और प्राकृतिक आग के स्थानीय जोखिमों के कारण होने वाले नुकसान और फसल कटाई के बाद 15 दिनों की निर्दिष्ट अवधि के लिए चक्रवात, चक्रवाती/बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण होने वाले नुकसान की गणना संबंधित राज्य सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा निरीक्षण के बाद व्यक्तिगत बीमित खेत के आधार पर की जाती है, जिसमें राज्य के अधिकारी और

बीमा कंपनियों के अधिकारी और नुकसान का आकलन करने वाले शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रिवेंटेड सोइंग/फेल्ड जर्मिनेशन के लिए दावों का भुगतान करने और मध्य सीजन की प्रतिकूलता के मामले में तदर्थ दावों का भी प्रावधान है।

एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम) की उप-योजना "कृषि विपणन अवसंरचना (एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर) (एएमआई)" को वैज्ञानिक भंडारण सहित कृषि विपणन अवसंरचना के निर्माण के लिए देश भर में लागू किया गया है, ताकि खाद्यान्नों की कटाई के बाद और हैंडलिंग संबंधी नुकसान को कम किया जा सके, देश में प्लेज फाइनेंसिगं और बाजार पहुंच को बढ़ावा दिया जा सके। फलों और सब्जियों के लिए, एमआईडीएच लागत मानदंडों के अनुसार 1000 तक एनसीसीडी द्वारा प्रवर्तित मानकों के अनुसार एकल मानकीकृत कोल्ड स्टोरेज इकाइयों का प्रावधान है।

एएमआई एक पूंजी निवेश, ओपन-एंडेड, मांग-संचालित, क्रेडिट-लिंक्ड, सब्सिडी योजना है, जिसमें लाभार्थी की पात्र श्रेणी के आधार पर 25% और 33.33% की बैक-एंडेड सब्सिडी उपलब्ध है। यह सहायता व्यक्तियों, किसानों, किसानों/उत्पादकों के समूह, एग्री प्रेन्योर्स, पंजीकृत किसान उत्पाद संगठनों (एफपीओ), सहकारी समितियों और राज्य एजेंसियों आदि को उपलब्ध है।

आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों के लिए अपेक्षित लॉजिस्टिक और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकारें 12 अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं जिसमें सूखा और बाढ़ शामिल है, की स्थिति में प्रभावित लोगों को भारत सरकार के अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार पहले से ही अपने पास रखे गए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से वित्तीय राहत प्रदान करती है। हालांकि, गंभीर प्रकृति की आपदा की स्थिति में, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम के दौरे के आधार पर मूल्यांकन शामिल होता है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता राहत के रूप में होती है, न कि मुआवजे के रूप में।

सरकार देश में जलवायु के अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) के अंतर्गत आने वाले मिशनों में से एक है। इस मिशन का उद्देश्य भारतीय कृषि को जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक अनुकूल बनाने के लिए कार्यनीतियों को लागू करना है। कृषि क्षेत्र में प्रतिकूल जलवायु स्थितियों से निपटने के लिए सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसए) के तहत कई योजनाएं भी शुरू की गई हैं। प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) योजना माइक्रो इरिगेशन प्रौद्योगिकियों अर्थात ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से फार्म लेवल पर जल उपयोग दक्षता को बढ़ाती है। वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी) योजना एनएमएसए के एक घटक के रूप में कार्यान्वित की जाती है और उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तनशीलता से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली (आईएफएस) पर ध्यान केंद्रित करती है। मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता योजना मृदा स्वास्थ्य और इसकी उत्पादकता में सुधार के लिए जैविक खाद और जैव-उर्वरकों के साथ माध्यमिक और सूक्ष्म पोषक तत्वों सहित रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग के माध्यम से एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देने में राज्यों की सहायता करती है। एकीकृत बागवानी, कृषि वानिकी विकास मिशन और राष्ट्रीय बांस मिशन भी कृषि में जलवायु अनुकूलन को बढ़ावा देते हैं।

*****